

विनय ...

हे श्रीमन्/ सुश्री

घरेलू हिंसा कानून अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। यह कानून कई मायनों में अनूठा है। यह “विधिक मिथको” की रचना करता है। मजिस्ट्रेट साहेबान को सिविल शक्तियाँ देकर नया “क्षेत्राधिकारीय रंगमंच” तैयार करता है। यह कानून अब तक वर्जित रहीं उन नई भूमियों पर भी पाँव धरता है जो भारत नामक परिवार का सामाजिक – विधिक भविष्य तय करती लगती हैं। जहाँ एक ओर यह महिलाओं की सभी कठिनाईयों का “एक स्थान पर हल” प्रस्तुत करने का प्रयास करता है वहीं इस पर आरोप है कि यह दूसरे कानूनों के अधिकारों का हरण भी करता है। इसने समाज को आलोडित कर दिया है और लगभग सभी संभव प्रतिक्रियाएँ इस कानून को मिली हैं। परन्तु इस सबके उपरान्त शिकायतकर्ता, उसके पति और वृहत्तर रूप से समाज को इस कानून ने क्या परिवर्तन दिया है – यह जानना ही इस शोध की विषयवस्तु है।

आप भारतीय मनीषा के सम्मानित पुरोधे हैं। आपके महती योगदान के बिना यह कार्य सही रूप में सम्पन्न कर पाना संभव न हो पायेगा। अतः आपसे विनती है कि अपने मूल्यवान समय में से कुछ क्षण देकर इस खोज का मार्ग प्रशस्त कर दें।

साधु ...

विनीत साधक

Reverence ...

Sir / Madam!

Domestic Violence Act was implemented in October 2006. This act is unique in various aspects. It creates “**Legal Fictions**”. It lays down a new jurisprudential schema by conferring civil powers on a Magistrate. It breaks through and identifies, hitherto known as prohibitions those new grounds which are likely to determine the course of socio-legal future of the India as a family. On one hand it has attempted to provide “One Window Solution” to women’s grievances while on the other it is alleged to have jurisdictionally encroached upon other laws also. It has stirred the society and received responses everything from this world to that world. But how this has made a change for a complainant, her husband and the society at large is the subject matter of this research.

You are a reputed scholar of **Indian Intellect**. Without your valuable contribution this task cannot be accomplished properly. Therefore you are respectfully requested to spare a few moments out of your precious time to enlighten this Research Work.

Thanks!

The Humble Researcher

Please answer to these questions truthfully. Your answers will never be disclosed to any public forum with your details, against your permission. कृपया इन प्रश्नों के उत्तर सत्य रूप में दें। आपके किसी भी उत्तर को आपके व्यौरों के साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर आपकी सहमति के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

यह प्रश्नपत्र को किसी अलग डॉक्यूमेंट (जैसे MS Word) पर लिख कर theresearcherpratap@gmail.com पर भेजने की कृपा करें या इसी प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर लीजिए।
Please use a separate file for answers and send it to theresearcherpratap@gmail.com or use this platform to send it.

EXPERTS - LAW / OTHER FIELDS

Particulars

- a. Name नाम
- b. Address पता
 - (i) Res. आवास
 - (ii) Off. कार्या.
- c. Other Contacts अन्य सम्पर्क
 - (i) Ph. (M)(मो.) (Fixed)(फिक्सड)
 - (ii) Email (ई मेल)
- d. Age / (DOB) आयु/ जन्म तिथि
- e. Brief Introduction संक्षिप्त परिचय
- f. Would you allow the researcher to make reference of your name and comments in the research work? क्या इस शोध कार्य में आपके नाम और टिप्पणियों का संदर्भ दिये जाने की अनुमति है
 - i. Yes, I allow my name and comments to appear in this research work हूँ अनुमति है
 - ii. No, I do not allow my name and comments to appear in this research work, it is confidential नहीं अनुमति नहीं है
- g. Any other information which you like to share: कोई अन्य सूचना जो आप देना चाहें

Researcher:

Pratap S. Malik
Ph. No. 9910384770

Wherever the space is deficient, please use a separate paper. जहाँ भी उत्तर के लिए जगह कम पड़े कृपया अतिरिक्त कागज का प्रयोग करें

Please answer to these questions truthfully. Your answers will never be disclosed to any public forum with your details, against your permission. कृपया इन प्रश्नों के उत्तर सत्य रूप में दें। आपके किसी भी उत्तर को आपके व्यौरे के साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर आपकी सहमति के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

Signatures

Researcher:

Pratap S. Malik
Ph. No. 9910384770

Wherever the space is deficient, please use a separate paper. जहाँ भी उत्तर के लिए जगह कम पड़े कृपया अतिरिक्त कागज का प्रयोग कर लें

Please answer to these questions truthfully. Your answers will never be disclosed to any public forum with your details, against your permission. कृपया इन प्रश्नों के उत्तर सत्य रूप में दें। आपके किसी भी उत्तर को आपके व्यौरों के साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर आपकी सहमति के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

1. In the “Substance and Effect” can you compare the introduction of Domestic Violence Act 2005 to that of the Hindu Marriage Act 1955? “विषयवस्तु और प्रभाव” देखते हुए क्या आप हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और घरेलू हिंसा कानून 2005 की तुलना कर पायेंगे?
2. Probably Domestic Violence Act is the first piece of legislation which diminishes the demarcation between The Civil and the Criminal Laws and Courts. In your opinion this is some “*Legal Innovation*” portending the future of Law or some “*Legal Confusion*” mismatching the present *Legal – Judicial Set Up* of the country or something else? संभवतः घरेलू हिंसा कानून पहली बार “सिविल और फ़ौज़दारी कानून और अदालतों” के सामान्य अंतर को कम करता लगता है। आपके अनुसार यह भाविष्य को लेकर कोई नया “कानूनी अविष्कार” है या वर्तमान कानूनी-अदालती सिस्टम में ना घुलमिल पाने वाला कोई “विधिक कन्फ़्यूजन” या कुछ और।
3. Domestic Violence Act for the first time has identified the “relations outside wedlock” as a legal fiction. It, under its provisions has vested the second woman (and for that matter third, fourth ... also) with some specific rights in a way comparable to those of a wife. What do you think about this घरेलू हिंसा कानून ने पहली बार विवाहेतर सम्बन्धों को एक कानूनी पहचान दी है। इसके प्रावधानों के तहत दूसरी महिला को (और इस प्रकार तीसरी, चौथी ... को भी) पत्नी सदृश कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं
 - a. This provision in itself is a violence to a wife यह प्रावधान खुद में ही पत्नी के ऊपर एक जुल्म है
 - b. A prophetic legislation has attempted to identify and regulate a hitherto unidentified social reality एक अग्रगामी कानून ने अब तक अचिन्हित रही सामाजिक वास्तविकता को पहचानने और नियंत्रित करने की कोशिश की है
 - c. It has legally allowed the potential ones to have one wife and other women या यह समर्थ लोगों के लिए एक पत्नी और अन्य महिलाओं को रखने की कानूनी मंजूरी है
 - d. Or something else ... या कुछ और ...
4. Domestic Violence Act jurisdictionally appears to overlap with several other laws e.g. Sec. 498A, 406 and other provisions of IPC, 125 CrPC, Law of Injunction, provisions of Hindu Marriage Act, Guardianship Act and Hindu Succession Act without specifying which law would precede over which other and until what. What is your view on this point? अपने क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा कानून अन्य कानूनों जैसे Sec. 498A, 406 IPC, 125 CrPC, स्टे वगैरह के कानून, Hindu Marriage Act, Guardianship Act and Hindu Succession Act के साथ overlapping करता है और यह भी स्पष्ट नहीं करता कि कौन से कानून को कब किस दूसरे कानून के ऊपर वरीयता मिलेगी। इस बारे में आपका मत क्या है?
5. Would you like to point out some other law also having a similar overlapping or obscurity in its extent and jurisdiction? क्या आप किसी अन्य कानून को भी उद्धृत करना चाहेंगे जिसमें ऐसी ही “overlapping और अस्पष्टता हो?

Researcher:

Pratap S. Malik
Ph. No. 9910384770

Wherever the space is deficient, please use a separate paper. जहाँ भी उत्तर के लिए जगह कम पड़े कृपया अतिरिक्त कागज का प्रयोग करें

Please answer to these questions truthfully. Your answers will never be disclosed to any public forum with your details, against your permission. कृपया इन प्रश्नों के उत्तर सत्य रूप में दें। आपके किसी भी उत्तर को आपके व्योरे के साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर आपकी सहमति के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

6. “Domestic Violence Act confers right in a woman without imposing any liability, while a man is overburdened with discriminative liabilities with total denial of rights. And this is not equitable.” How far you agree or disagree with this statement? “घरेलू हिंसा कानून महिलाओं की जिम्मेदारी तय किये बिना ही उन्हें अधिकार देता है जबकि पुरुषों के अधिकार को पूर्णतः नकार कर उन पर जिम्मेदारियाँ लाद देता है। और यह न्यायसंगत नहीं है।” आप इस कथन से कितना सहमत या असहमत हैं?
7. There is a “Gender Preference” observed in the scheme of the Domestic Violence Act as it presupposes that क्या घरेलू हिंसा कानून की पूरी योजना में एक “लैंगिक पसंद” दिखाई पड़ती है क्योंकि यह कानून मान कर चलता है कि
- only a woman is subjected to domestic violence and केवल महिलाएँ ही घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं
 - a woman is subjected to domestic violence only by man और महिलाओं को केवल पुरुष ही घरेलू हिंसा का शिकार बनाते हैं

What is your comment here इस पर आपकी क्या टिप्पणी है?

8. Do you see these “Preferences” violative of “Right to Equality” enshrined in Art.14 of the Constitution of India? क्या आपको लगता है कि इस तरह की “लैंगिक पसंद” संविधान के अनु. 14 में दिये गये “बराबरी के अधिकार” का उल्लंघन है?
9. Do you see that this act gives a relaxation in ‘standard of proof’ when it invokes criminal prosecution of a respondent on a sole testimony of the complainant (U/Sec. 31)? क्या आपको लगता है कि शिकायतकर्ता के एकमात्र बयान पर दूसरी पार्टी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करके यह कानून “सबूतों के मानक स्तर” को कम कर देता है (सैक्शन 31)?
10. Under this law while framing charge for Domestic Violence a Magistrate, for the same offence can frame charges U/Sec.498A IPC also. Do you find that the respondent being subjected to two punishments for one alleged wrong is exposed to a “Double Jeopardy” (U/Sec. 31(3))? इस कानून के मुताबिक घरेलू हिंसा का चार्ज लगाते समय उसी दोष के लिए मजिस्ट्रेट सै. 498A IPC का चार्ज भी लगा सकते हैं। इससे पति-पक्ष एक कथित गलती के लिए दो सजाओं का दोषी होकर क्या double jeopardy का शिकार नहीं हो जाता है (सैक्शन 31(3))?
11. Are there any specific provisions in the Domestic Violence Act aimed at the prevention of its misuse? घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या इसमें कोई विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं?
12. Should such provisions be incorporated in this Act to make it a reasonable code? क्या इस कानून को पूरी तरह सम्यक बनाने के लिए ऐसे प्रावधानों की जरूरत है?
13. Do you find that in India women are socio-historically placed adversely in matrimonial sphere as they have to shift to husband’s family – a totally new and alien place? क्या आपको

Researcher:

Pratap S. Malik
Ph. No. 9910384770

Wherever the space is deficient, please use a separate paper. जहाँ भी उत्तर के लिए जगह कम पड़े कृपया अतिरिक्त कागज का प्रयोग करें।

Please answer to these questions truthfully. Your answers will never be disclosed to any public forum with your details, against your permission. कृपया इन प्रश्नों के उत्तर सत्य रूप में दें। आपके किसी भी उत्तर को आपके व्यौरों के साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर आपकी सहमति के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

लगता है कि भारतीय विवाह संस्था में महिला को उसके मूल स्थान से काटकर तथा बिलकुल ही नई और अन्जानी जगह ससुराल में भेज कर सामाजिक-ऐतिहासिक रूप से हीनता के गलत स्तर पर रख दिया गया है?

14. Do the matrimonial laws in general and the Domestic Violence Act in particular seek to provide a *Legal Payback* to this *Socio-Historic Wrong*? क्या आप मानते हैं कि सामान्य रूप से सभी विवाह कानून और विशेष रूप से घरेलू हिंसा कानून इसी सामाजिक-ऐतिहासिक गलती का कानूनी प्रतिदान हैं।
15. Some people say that now in this time the “*Institution of Marriage*” has lived its life and become redundant and obsolete. How far are you in agreement with this thinking? कुछ लोग कहते हैं कि “विवाह संस्था” अपना जीवन जी कर अब “अर्थहीन और मृतप्राय” हुआ चाहती है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं?
16. Should this institution be repudiated now क्या अब इस संस्था को त्याग दिया जाना चाहिए
 - i. by men to avoid the rigors of the Laws related to the “Marital Disputes” and पुरुषों द्वारा वैवाहिक कानूनों से उपजी मुश्किलों से बचने के लिए, और
 - ii. By women to get emancipation from the marital slavery? महिलाओं द्वारा वैवाहिक दासता से मुक्ति पाने के लिए
17. Has this Act been successful in securing “Speedy and Time-bound Justice” to the complainants as per its specific provisions? Please elaborate your answer. क्या इस कानून ने अपने विशिष्ट प्रावधानों के अनुरूप ही “तीव्र और समय-बद्ध न्याय” की माँग को पूरा किया है? कृपया अपने उत्तर को समझा कर बताएँ।
18. Domestic Violence Act does not define the complaint but in the form of Domestic Incident Report (DIR) it has changed the form of complainant. Now the complainant may allege anything with impunity as this law treats some unsolicited communications of the “Aggrieved Person” as complaint under Domestic Violence Act (Tick marks by a Protection Officer in a printed form). Can the definition of “Complaint” be borrowed from CrPC to avoid this ambiguity? But would it bring back the specter of delays in the story. घरेलू हिंसा कानून में complaint को परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु DIR के रूप में इसने बातचीत को भी कम्प्लेन्ट के रूप में स्वीकार कर लिया है जिससे शिकायतकर्ता बेधड़क होकर झूठे आरोप लगा सकती हैं (DIR के छपे हुए फार्म में PO से टिक लगवा कर)। इस दुरुपयोग से बचने के लिए क्या complaint की परिभाषा CrPC से ली जा सकती है? पर क्या इससे विलम्ब के खतरे पुनः बढ़ जाएँगे?
19. As a Judicial Officer have you ever come across a case of “Domestic Dispute” which was proved false after the final hearing? एक न्यायधीश के रूप में क्या कभी ऐसा मामला आपके सामने आया है जो आखिरकार प्रमाणिक रूप से झूठा साबित हुआ हो?
20. Have you ever directed a legal action in such a situation? Please give its details? क्या आपने कभी ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया है? सम्बन्धित व्यौरा देने की कृपा करें।
21. If no action was taken then what was the main reason for such forbearance? अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इस वर्जना के क्या कारण थे?

Researcher:

Pratap S. Malik
Ph. No. 9910384770

Wherever the space is deficient, please use a separate paper. जहाँ भी उत्तर के लिए जगह कम पड़े कृपया अतिरिक्त कागज का प्रयोग करें।

Please answer to these questions truthfully. Your answers will never be disclosed to any public forum with your details, against your permission. कृपया इन प्रश्नों के उत्तर सत्य रूप में दें। आपके किसी भी उत्तर को आपके व्यौरों के साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर आपकी सहमति के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

22. Will you like to add something more on any aspect? क्या आप किसी भी पहलू पर कुछ और कहना चाहेंगे?

Researcher:

Pratap S. Malik
Ph. No. 9910384770

Wherever the space is deficient, please use a separate paper. जहाँ भी उत्तर के लिए जगह कम पड़े कृपया अतिरिक्त कागज का प्रयोग करें।